न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–282/2018 (2018/00282)225/पींसागन

1. थावरमल पुत्र झमटमल जाति सिंधी निवासी बुलानी हाउस चाणक्यपुरी, पेट्रोल पम्प के पस, वैशाली नगर, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती मनीषा चंचलानी पत्नी चेतनदास जाति सिंधी निवासी चॉद बावड़ी, अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पींसागन जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी , पींसागन के आदेश दिनांक 22.06.2018, प्रकरण संख्या 87/2016

उपस्थितः–

1. श्री लेखू मुघानी एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री महेन्द्र सिंह चौहान/ मुकेश रावत एड़वोकेट रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 01.03.2019

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पींसागन के आदेश दिनांक 22.06.2018, प्रकरण संख्या 87/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम अर्जुनपुरा खालसा तहसील पींसागन स्थित खसरा नम्बर 491प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजी है एवं रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज है तथा अप्रार्थीगण खीमी देवी पत्नि ताराचन्द, देवानन्द, पूनम, भावना, सावी, हर्षा पुत्रियॉ ताराचन्द की आराजी खसरा नम्बर 498, प्रार्थीया की अराजी के उत्तर दिशा की ओर लगती हुई हैं। उक्त खसरा नम्बर 498 के उत्तर दिशा की तरफ लगता हुआ गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में लगता हुआ है। इसलिए रास्ता दिलवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर गया, तहसीलदार, पींसागन से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, पींसागन से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 488 गै.मु.रास्ता से लगते हुए खातेदारी खसरा नम्बर 489, 492, 493 में से भी रास्ता लिया जा सकता है जिसके खातेदार थावरदास वल्द झमटमल कौम सिंधी सा.डिग्गी बाजार, अजमेर है। प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. का पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 489, 492, 493 में से कम दूरी का बनता है इसलिए वर्तमान अप्रार्थी संख्या 01 से 06 को डिलीट कर थावरमल पुत्र झमटमल को अप्रार्थी संख्या 01 बनाये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर थावरमल को अप्रार्थी संख्या 01 संयोजित किया गया। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.06.2018 को स्वीकार कर लिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पींसागन के आदेश दिनांक 22.06.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

04. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थिया/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पींसागन के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की हैसियत से श्रीमती खीमी देवी पत्नि ताराचन्द, देवानन्द, पूनम, भावना, सावी, हर्षा पुत्रियॉ ताराचन्द निवासी डिग्गी बाजार, अजमेर की आराजी खसरा नम्बर 498 की भूमि में से रास्ता मांगा गया था तथा तहसीलदार, पींसागन की मौका रिपोर्ट अनुसार सरल एवं सुगम रास्ता थावरदास पुत्र झमटमल की खातेदारी खसरा नम्बर 489, 492, 493 में से कम दूरी का बनता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 498 में से रास्ता दिया है जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्याालय ने प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम में से अप्रार्थी संख्या 01से 06 का नाम डिलीट कर उनके स्थान पर थावरमल को पक्षकार बनाया है, जो विधि सम्मत नही है क्योंकि इस तरह के संशाधन करने हेतु आदेश 06 नियम 17 जा.दी. के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वर्ष 2016 में ही उक्त भूमि क्रय की है और उसे इन तथ्यों की जानकारी थी मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है और जो रास्ता उन्होने खसरा नम्बर 489 के उत्तर दिशा में बतलाया था उसे तहसीलदार, पीसांगन ने स्वीकार नहीं किया तो ऐसी स्थिति में वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना चाहिए था परन्तु उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने तहसीलदार, पींसागन की रिपोर्ट को आधार बनाकर जो आदेश पारित किये है वह विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.06.2018 को सुनाया था जिसकी जानकारी प्रथम बार प्रार्थी/अपीलांट को दिनांक 27.08.2018 को प्राप्त हुई तथा उसी दिन प्रार्थी ने नकल के लिए आवेदन किया एवं जैसे ही नकले प्राप्त हुई प्रार्थी ने वकील से सम्पर्क कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है फिर भी सदभाविक विलम्ब को कण्डोन करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पींसागन का आदेश दिनांक 22.06.2018 को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण विधि सम्मत किया है तथा अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया तथा विवादित आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट तलब किया जाने के बाद मौका रिपोर्ट अनुसार ही निर्णय पारित किया हैं। तहसीलदार,पींसागन की मौका रिपोर्ट अनुसार सरल एवं सुगम रास्ता तो खसरा नम्बर 489, 492, 493 में से दिया जा सकता है परन्तु उक्त खसरा नम्बर से यदि रास्ता दिया जाता है तो अपीलांट के खेत दो टुकड़ो में विभक्त हो जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित किये है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ते बाबत् अपनी सहमति दी तथा सहमति के पश्चात ही आत्यंतिक आवश्यकता एवं अन्य वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता के आधार पर नये रास्ते के आदेश दिये है। अपीलांट का यह कथन कि उनको अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं होने के कारण अपील मियाद बाहर पेश की हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट स्वंय उपस्थित थे फिर

भी अपील मियाद बाहर पेश की गई इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जावे तथा अपील में भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है इसलिए प्रस्तुत अपील भी खारिज की जावे।

6. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अभिभाषक उभयपक्षकरान द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ सलंग्न भू.अ.निरीक्षक, केसरपुरा द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 493 से होकर कम दूरी का बनता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रास्ते बाबत् यह कथन किया कि यह रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी की खातेदारी आराजी के टुकडे हो जायेगें जो कि न्यायोचित नही है इसलिए नये रास्ते के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के स्थान पर अपीलांट को पक्षकार संयोजित किया है तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। उक्तानुसार तथ्यात्मक एवं कानूनी विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पींसागन के आदेश दिनांक 22.6.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जना उचित समझते है कि वे उपलब्ध अन्य वैकल्पिक रास्तों की स्थिति का विवेचन करते हुए पुनः तहसीलदार, पींसागन से रिपोर्ट तैयार करवाये जिससे रिकार्ड व मौके की स्थिति अनुसार सुविधा जनक रास्ते की स्थापना हो सकें। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनःउभयपक्षों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पींसागन के आदेश दिनांक 22.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपख्ण्ड अधिकारी, पींसागन को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपलब्ध अन्य वैकल्पिक रास्तों की स्थिति का विवेचन करते हुए पुनःतहसीलदार, पींसागन से रिपोर्ट तैयार करवाये जिससे रिकार्ड व मौके की स्थिति अनुसार सुविधा जनक रास्ते की स्थापना हो सकें। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनःउभयपक्षों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

1/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 01.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

1/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर